

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एनओसी) हेतु आवेदन का प्रारूप

(शा0 संख्या : 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002 का संलग्नक)

1.	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	
2.	संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम	
3.	सोसाइटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/ नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण	
4.	पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए निर्वाधन /अनापत्ति वांछित है	
5.	महाविद्यालय/संस्थान पुराना है तो चल रहे समस्त समबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों का विवरण	
6.	जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 कि०मी० की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं ?	
7.	प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?	
8.	उस क्षेत्र में 15 कि०मी० की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?	

9.	उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?	
10.	क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृति छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?	
11.	क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता को संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?	
12.	महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं हैं तथा महाविद्यालय/संस्था का नाम जीवित व्यक्ति या जाति के विशेष के नाम पर तो नहीं है :-	
13.	महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट के आय के स्रोत, पूर्ववर्ती 03 वर्षों में अर्जित वार्षिक आय का सप्रमाण विवरण	
14.	यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/परास्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या	
15.	पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण	

16.	पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षकों का अर्हता सहित शिक्षक की नियुक्ति की, प्रकृति (उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित विनियमित अथवा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त) का विवरण:-	
17.	महाविद्यालय संस्थान/सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण (क्षेत्र के किसी राजस्व अधिकारी से सत्यापित अभिलेख या साक्ष्यों के साथ)	
18.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध भवन का स्पष्ट विवरण (भवन का छायाचित्र एवं नक्शा सहित)	
19.	यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए निर्वाधन/अनापत्ति वांछित है तो उससे सम्बन्धित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि, विश्वविद्यालय अनुदान की आयोग की धारा-2 (एफ) में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय /महाविद्यालयों का नाम जहाँ उक्त पाठ्यक्रम पूर्व में संचालित हो, तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	

दिनांक-

संस्था के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)